डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बहजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

रामजीलाल पुत्र जिन्शी मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

1. गंगाराम पुत्र जिन्शी मीना (मृतक)
   1/1. परमो देवी पत्नि गंगाराम मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
   1/2 प्रेमचन्द पुत्र गंगाराम मीना
   1/3 शिवचरण पुत्र गंगाराम मीना
   1/4 पॉचूराम पुत्र गंगाराम मीना
   निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
   1/5 उगन्ती पुत्री गंगाराम पत्नि राजेन्द्र मीना निवासी नौरंगपुरा तहसील महवा जिला दौसा
2. गंगासहाय पुत्र जिन्सी मीना (मृतक)
   2/1 केशन्ती पत्नि गंगासहाय
   2/2 इन्दर पुत्र गंगासहाय
   2/3 मोहरसिंह पुत्र गंगासहाय
3. मिश्री बेवा कल्याण मीना
4. मेधराम पुत्र कल्याण मीना
5. रामभजन पुत्र कल्याण मीना
6. रामनिवास पुत्र कल्याण मीना
7. लौटन्ती पुत्री कल्याण मीना
   निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
   तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत बटवारा स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 34/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादी रामजीलाल पुत्र जिन्शी जाति मीना निवासी खोहरा को ग्राम खोहरा की अराजी ख0न0 352/2693/3 रकबा 0.03 एवं 941/3 रकबा 0.04 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 का, प्रतिवादी परमोदवी पत्नि गंगाराम, पाचूराम, शिवचरण, प्रेमचन्द पि. गंगाराम, उगन्ती पुत्री गंगाराम जाति मीना हि.ब. निवासी खोहरा को ख0न0 352/2693/2 रकबा 0.05 एवं 941/2 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 का, प्रतिवादी गंगासहाय पुत्र जिन्शी जाति मीना निवासी खोहरा को ख0न0 352/2693/1 रकबा 0.05 है0, 941/1 रकबा 0.02 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 का तथा प्रतिवादी मिश्री पत्नि कल्याण, रामनिवास, मेधराम, रामभजन पि. कल्याण, लौटन्ती पुत्री कल्याण जाति मीना हि.ब. निवासी खोहरा को ख0न0 352/2693 रकबा 0.03, 941 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.08 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी।

निज..................मुबलिंग.........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............

आज ता०

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.03.2020 को जारी की गई।

उपजिला कलक्टर
दस्तखत टोडाभीम (करौली)...
ओहदा..........................

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वयत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 34/2015

तारीख रजू:– 1.6.2015

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

रामजीलाल पुत्र जिन्शी मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

1. गंगाराम पुत्र जिन्शी मीना (मृतक)
   1/1. परमो देवी पत्नि गंगाराम मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
   1/2 प्रेमचन्द पुत्र गंगाराम मीना
   1/3 शिवचरण पुत्र गंगाराम मीना
   1/4 पॉचूराम पुत्र गंगाराम मीना
   निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
   1/5 उगन्ती पुत्री गंगाराम पत्नि राजेन्द्र मीना निवासी नौरंगपुरा तहसील महवा जिला दौसा
2. गंगासहाय पुत्र जिन्सी मीना (मृतक)
   2/1 केशन्ती पत्नि गंगासहाय
   2/2 इन्दर पुत्र गंगासहाय
   2/3 मोहरसिंह पुत्र गंगासहाय
3. मिश्री बेवा कल्याण मीना
4. मेधराम पुत्र कल्याण मीना
5. रामभजन पुत्र कल्याण मीना
6. रामनिवास पुत्र कल्याण मीना
7. लोटन्ती पुत्री कल्याण मीना
   निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली) राज०

दावा बावत बटवारा स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादी)

श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी न0 (1 ता 4)

निर्णय दिनांकः– 17.03.2020

वाद का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खोहरा स्थित आराजी ख0न0 352/2693 रकवा 0.16, 941 रकवा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.29 है0 मे वादी बहिस्सा 1/4, प्रतिवादी न0 1 व 2 प्रत्येक 1/4 तथा प्रतिवादी न0 3 ता 7 बहिस्सा 1/4 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वर्णित आराजीयात का बाहमी बटवारा हो रहा है लेकिन प्रतिवादीगण के मन मे बदयान्ति है तथा वे ख0न0 352/2693 गॉव की आबादी के नजदीक होने से वादी को उक्त आराजी से महरूम रखना चाहते है। तथा उक्त आराजी के बदले दूर की जमीन ख0न0 941 पर हिस्सा देने को आतुर है। बाका दिनांक 19.5.15 को वादी अपनी आराजी की देखभाल कर रहा था कि प्रतिवादी न0 1 व 2 अपने साथ कुछ मजदूरो को लेकर आये तथा नात तोल करने लगे। वादी द्वारा पूछने पर कहने लगे कि हम इसमे मकान निर्माण करेगे इस प्रकार हमने कहा कि उक्त

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

आराजी शामिल की है लेकिन तुम पहले तहसील मे चलकर विधिवत बटवारा करा लेते है। फिर तुम चाहो जो करना इतना सुनते ही प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा कहने लगे कि साले हमारे सामने जुबान चलाता है हम चाहे जहॉ निर्माण करेगे। तथा कही नही जायेगे नाही बटवारा करायेगे। तथा तुमने कोई कोर्ट कचहरी की तो हाथ पैर तोड देगें। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो वादी को उसके हिस्से से बेदखल कर कब्जा करके निर्माण कर लिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख0न0 352/2693, 941 कुल किता 2 कुल रकवा 0.29 है0 ग्राम खोहरा मे कब्जे व हिस्सेअनुसार रिपोर्ट तलब फरमाई जावे। एव प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को बेदखल कर कब्जा नही करे. आराजी मे कोई निर्माण नही करे, आराजी को नाकाबिल काश्त नही बनावे, आराजी को खुर्द बुर्द नही करे। मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 5 ता 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 4 की ओर से वकील ने उपस्थित होकर मय काउन्टर क्लेम जवाव पेश किया कि वर्णित आराजीयात ख0न0 352/2693 रकवा 0.16 है0, ख0न0 941 रकवा 0.13 है0 मे प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/4, प्रतिवादी न0 2 बहिस्सा 1/4 प्रतिवादी न0 3–4 बहिस्सा 1/10 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त एवं रहवास है उक्त आराजी से वादी का कोई लेना देना नही है क्योकि वादी को घरू बटवारे के अनुसार ख0न0 936/0.14, 1912/0.55 दे रखी है। वादी ने घरू बटवारे के समय स्वंय ने राजी होकर ख0न0 936 को लिया जब ख0न0 352/2693 एवं ख0न0 941 रकवा 0.29 है0 पर प्रतिवादीगण की आवादी हो रही एवं प्रतिवादी न0 1 अपना मकान जो लगभग बन गया उसके लिये वादी अलग से पैसे मागने लगा प्रतिवादी के द्वारा मना करने पर माननीय न्यायालय मे बटवारा केवल 2 नम्बरो का किया है जो बदयान्ति का प्रतीक है। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। जिसमे वादी कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

काउन्टर क्लेम इस प्रकार पेश किया कि वादी ने रंजिशवश मात्र 2 खसरा नम्बर 352/2693 रकवा 0.16, 941 रकवा 0.13 है0 का दावा किया है। जबकि इन खसरा नम्बर की अलग से कब्जे काश्त रहवास होने के कारण 20–25 वर्ष से प्रतिवादी के कब्जे मे होने के कारण आराजीयात की खातेदारी अपने नाम कराने की एवं वादीगण का नाम हजफ कराने की इस्तदुआ करते है। उक्त खसरा नम्बरान के अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण की अन्य खातेदारी के नम्बर 1853/0.34, 1855/0.63, 1858/0.30, 1859/0.23, 1860/0.02, 1919/0.36, 191/0.16, 197/0.16, 240/0.18, 241/0.01, 877/0.16, 936/0.14, 937/0.14, 947/0.05, 1912/0.55, 1164/0.04, 1165/0.06 है0 भूमि ग्राम खोहरा मे और है। जिसमे वादी ने बटवारा नही चाहा है। ख0न0 352/2693 रकवा 0.16, 941 रकवा 0.13 है0 मे प्रतिवादीगण के मकान बने हुये है आबादी की जगह मे प्रतिवादी न0 1 का मकान लगभग बन गया है। वादी ने मात्र बटवारा स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही है नाकि बेदखली की इस बिना पर दावा इनफेसिस हो गया है। उक्त खसरा नम्बरान मे मकान बने होने के कारण काश्त नही हो रही है। इस कारण माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्रअधिकार नही है। इसलिये वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

वादी की ओर से वादपत्र के समर्थन मे ग्राम खोहरा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 प्रदर्श–1, नकल भू–प्रबन्ध विभाग जमाबन्दी सम्वत 2043–62 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी 2041–44 प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–4, तथा स्वंय का शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से पंचनामा दिनांक 2.8.09, नकल ट्रेस हाल 2 प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 पेश की तथा प्रतिवादी प्रेमचन्द, मेधराम, गंगासहाय, भरतलाल, इन्दर के शपथ पत्र पेश किये।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी वकील ने बहस प्रारम्भ करते हुये वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया व कथन किया कि साबिक आराजी ख0न0 818 रकबा 13 बिस्वा एवं ख0न0 1124 रकबा 10 बिस्वा की पूर्व मे खातेदारी रतन्या पुत्र इन्दाज जाति मीना के नाम थी। उक्त ख0न0 हम सभी भाईयो ने शामिल मे रहकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। इन तथ्यो की ताईद गवाहान ने अपने बयानो मे की है कि 1/4'–1/4 के 4 हिस्सेदार है हिस्सानुसार 1/4 हिस्से पर वादी का कब्जा है। पैतृक आराजी का तो कोई विवाद ही नही है। चारो भाईयो की खरीद शुदा आराजी है। इसलिये वादी के 1/4 हिस्से का अलग खाता कायम कायम कराया जावे। प्रतिवादी वकील ने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजीयात का वादी का कब्जा नही है। पिता के जीवनकाल मे चार भाईयो मे बटवारा हुआ था। उक्त विवादित जमीन तीन भाईयो ने ले ली और मकान बना लिया। वादी को ख0न0 931 रकबा 0.14, 1912 रकबा 0.55 है0 बन्द की पाल पर 10 ऐयर जमीन ज्यादा दे दी। 40 साल से उज्र या दावा क्यो नही किया रामजीलाल द्वारा जिरह मे माना है कि 29 ऐयर मे गंगाराम, गंगासहाय का मकान बना है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे भी उक्त आराजी मे रामजीलाल का कब्जा नही माना है इसलिये वादी का दावा खारिज फरमाया जावें।

वादपत्र पर सुनवाई के पश्चात दावा प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम पर प्रतिवादी वकील ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। तथा वादी वकील ने प्रतिवादी न0 2 के फौत हो जाने पर संशोधित टाईटल पेश किया जिसे स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया, तथा प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम पर वादी वकील ने जवाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र आपत्ति मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये प्रतिवादी वकील ने कथन किया कि बटवारा स्कीम मौके के विपरीत तैयार की गई है। प्रतिवादीगणो के मकानात बने हुये है। पुनः बटवारा स्कीम मगवाई जावे। वादी वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि कब्जे व हिस्सानुसार चारो भाईयो की खरीदशुदा आराजी की बटवारा स्कीम तैयार कर दिया है। बटवारा स्कीम मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर आई है। प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम खारिज फरमाई जावे। वकील उभयपक्ष की इस प्रार्थना पत्र की बहस सुनकर पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम स्वीकार करते हुये तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये गये कि स्वंय की उपस्थिति मे तथा पक्षकारान की उपस्थिति मे दिनांक 20.02.2020 को पुनः बटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करें।

तहसीलदार टोडाभीम द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः बटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत की, जिसमे अंकन किया कि मुताबिक आदेश दिनांक 20.02.2020 को पुनः बटवारा स्कीम तैयार की गई है। दौराने बटवारा स्कीम मौके पर पक्षकारान उपस्थित रहे किन्तु पक्षकारान ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। इस बटवारा स्कीम पर प्रतिवादी वकील ने पुनः आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया कि ख0न0 352/2693 रकबा 0.16 है0 मे से 0.05 है0 मे गंगासहाय के वारिसान मे मकान बना रखे है, तथा 0.06 है0 मे गंगाराम के वारिसान ने मकान बना रखे है। ख0न0 941 रकबा 0.13 है0 मे से 0.07 है0 वादी को दिया जा सकता है। बटवारा स्कीम गलत है। जिस पर वादी या प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर भी नही किये है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बटवारा स्कीम निरस्त फरमाई जावे। वादी वकील ने आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया कि ख0न0 352/2693 रकबा 0.16 है0 मे वादी बहिस्सा 1/4 प्रतिवादी गंगासहाय के वारिस, गंगाराम के वारिस, कल्याण के वारिसान हिस्सा 1/4–1/4 खातेदार है। आराजी चार बराबर बराबर हिस्सो मे बटी हुई है प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजीयात मे मकान बनाने की चेष्ठा करने पर भी वादी द्वारा दावा दायर किया गया है। इसलिये इस खसरा नमबर मे चारो हिस्सेदारो को चार–चार एयर जमीन दी जानी चाहिये। न्यायालय के आदेश से ही पुनः बटवारा स्कीम तलब की गई है। मौके पर इसी अनुरूप काबिज है। वादी को ख0न0 352/2693/4 मे रकबा 0.03 के स्थान पर 0.04 तथा ख0न0 941 रकबा 0.04 के स्थान पर 0.03 है0 देने के आदेश फरमाये जावे। तथा प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम खारिज फरमाया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादीगण के वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये बटवारा स्कीम को निरस्त कर मौके पर कब्जानुसार पुनः बटवारा स्कीम मगवाये जाने का कथन किया तथा अप्रार्थी/वादी के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये ही हिस्से व कब्जेनुसार आदेश पारित करते हुये बटवारा स्कीम पर प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का बटवारा स्कीमो का अवलोकन किया। वर्णित आराजीयात ख0न0 352/2693 रकवा 0.16 है0 एवं 941 रकवा 0.13 है0 गंगाराम , गंगासहाय, रामजीलाल, कल्याण की हिस्सा 1/4–1/4 की खरीद शुदा आराजी है। प्रतिवादीगण की और से पूर्व मे प्रस्तुत आपत्ति बटवारा स्कीम पर तहसीलदार टोडाभीम को स्वंय की उपस्थिति मे पक्षकारान के समक्ष बटवारा स्कीम तैयार करने के निर्देश दिये गये थे। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा स्वंय की उपस्थिति मे तथा पक्षकारान की उपस्थिति मे हिस्सानुसार व मौका अनुसार बटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत की है। यह बात अलग है कि पक्षकारान उपस्थित रहने के बावजूद हस्ताक्षर नही किये है। प्रकरण मे दो बार बटवारा स्कीम प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण को अनावश्यक देरीना करना ज्यादा प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम खारिज किये जाने के योग्य पाने से खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 20.02.2020 को तैयार की गई बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिकी किया जाता है।

अतः वादी रामजीलाल पुत्र जिन्शी जाति मीना निवासी खोहरा को ग्राम खोहरा की अराजी ख0न0 352/2693/3 रकवा 0.03 एवं 941/3 रकवा 0.04 कुल किता 2 कुल रकवा 0.07 है0 का, प्रतिवादी परमोदवी पत्नि गंगाराम, पाचूराम, शिवचरण, प्रेमचन्द पि. गंगाराम, उगन्ती पुत्री गंगाराम जाति मीना हि.ब. निवासी खोहरा को ख0न0 352/2693/2 रकवा 0.05 एवं 941/2 रकवा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.07 है0 का, प्रतिवादी गंगासहाय पुत्र जिन्शी जाति मीना निवासी खोहरा को ख0न0 352/2693/1 रकवा 0.05 है0, 941/1 रकवा 0.02 कुल किता 2 कुल रकवा 0.07 है0 का तथा प्रतिवादी मिश्री पत्नि कल्याण, रामनिवास, मेघराम, रामभजन पि. कल्याण, लौटन्ती पुत्री कल्याण जाति मीना हि.ब. निवासी खोहरा को ख0न0 352/2693 रकवा 0.03, 941 रकवा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.08 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत बेदखलत नही करे। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

17/3/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.07.30 11:30:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: